

शब्दावली: सज़ा

इस शब्दावली में ऐसे शब्द शामिल हैं जिन्हें आप सज़ा सुनाए जाने के दौरान या उससे पहले सुन सकते हैं। इसमें उन लोगों के शीर्षक भी शामिल हैं जिन्हें आप अदालत में देख, मिल या सुन सकते हैं।

सज़ा सुनाए जाने से पहले

AVL: ऑडियो-विसुअल लिंक वाली तकनीक, अदालतों को अपराधियों और गवाहों सहित एक मामले में शामिल लोगों से सीधे तौर पर वीडियो स्क्रीन द्वारा जुड़ने में मदद करती है।

आरोप: प्रतिवादी पर औपचारिक तौर पर आरोप, जिससे अदालती आपराधिक कार्यवाही शुरू करता है।

एक्सहिबिट: मुकदमे के दौरान सबूत के तौर पर इस्तेमाल की जाने वाली चीजें या जानकारी। इनमें फोटो, वीडियो, कथन या आरेख शामिल हो सकते हैं।

दृढ़ता प्रदान करने वाला न्याय (रेस्टोरेटिव जस्टिस): पीड़ितों के लिए एक प्रक्रिया जिसके ज़रिए वे अपराधियों को यह बता सकते हैं कि कैसे उनके अपराध ने उन्हें प्रभावित किया है और अपराधी को अपने अपराध की ज़िम्मेदारी लेनी होगी। एक अपराधी को सज़ा सुनाए जाने से पहले या बाद में प्रतिबंधात्मक न्याय बैठक हो सकती है, लेकिन यह सिर्फ तब होगा जब अपराधी और पीड़ित दोनों इसमें भाग लेने के लिए सहमत हों और अगर यह सुरक्षित रूप से की जा सकती हो।

डिसक्लोज़र: एक आपराधिक मामले में प्रॉसिक्यूशन के पास मामले से जुड़े डिफेंस को उपलब्ध करवाना ज़रूरी है।

हत्या / नरहत्या: एक व्यक्ति की दूसरे व्यक्ति द्वारा जानबूझकर की गई हत्या।

सोची समझी चाल / अपराध: सोच-समझकर बनाई गई अपराध की योजना।

अधिकार क्षेत्र: कानून को लागू करने के लिए कानूनी अधिकार या न्यायालय की शक्ति की सीमा।

पूर्व-वाक्य रिपोर्ट / न्यायालय को सलाह का प्रावधान (पीएसी) रिपोर्ट: न्यायाधीश को अपराधी के बारे में ज़्यादा जानकारी प्रदान करने और न्यायाधीश को यह निर्णय लेने में मदद करने के लिए बनाई गई रिपोर्ट।

हत्या करने की कोशिश: जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति को मारने का इरादा रखता है और अपनी इस कोशिश में नाकाम हो जाता है।

कसूर मानने की दलील: जब अपराधी अदालत में मानता है कि उसने अपराध किया है।

पीड़ितों का अधिकार अधिनियम 2002 (या पीड़ितों का कोड): न्यूज़ीलैंड कानून, जो अपराध के पीड़ितों के लिए सहायता और जानकारी प्राप्त करने के लिए खास अधिकारों का ब्यौरा देता है।

सज़ा सुनाए जाने के दौरान

न्यायालय की अवमानना: अदालत के सत्र के दौरान या अदालत के अंदर कही कोई भी बात या कोई भी हरकत, अदालत के आदेशों की अवहेलना या अदालत का निरादर होता है।

सबमिशन: एक लिखित या मुँह-बोली कानूनी दलील जो अदालत में पेश की जाती है।

स्थगन: बाद की तारीख लेना या कुछ समय के लिए अदालत की कार्यवाही को रोकना।

विक्टिम इम्पैक्ट स्टेटमेंट (वीआईएस) वीआईएस के ज़रिए कोर्ट को बताया जाता है कि अपराध ने पीड़ित को कैसे शारीरिक, भावनात्मक, आर्थिक और सामाजिक रूप से प्रभावित किया है। यह न्यायालय के अपमान के बारे में आपके विचारों को समझने में मदद करता है। यह अपराधी को बताता है कि कैसे उनकी इस हरकत ने आपको प्रभावित किया है।

तथ्यों का सारांश: एक आपराधिक मामले में प्रॉसिक्यूटर द्वारा अदालत में प्रस्तुत किया गया अपराध के बारे में एक सारांश, ताकि न्यायाधीश को सज़ा तय करने में मदद मिल सके।

दमन आदेश: किसी मामले के बारे में विशेष जानकारी साझा करने या प्रकाशित करने से रोकने के लिए अदालत या न्यायाधीश द्वारा दिया गया आदेश।

दबी हुई जानकारी: ऐसी सूचना जो न्यायाधीश के आदेश के तहत लोगों के साथ साझा या प्रकाशित नहीं की जा सकती।

निर्णायक सज़ा

कारावास: न्यायाधीश द्वारा सुनाई गई सज़ा जिसमें अपराधी को उसके अपराध के लिए जेल में रखे जाने को कहा जाता है।

आजीवन कारावास: कारावास की सज़ा जब किसी व्यक्ति को जीवन भर जेल में रहना पड़े या जब तक पैरोल न मिल जाए।

न्यूनतम कारावास की अवधि (MPI): जब कोई न्यायाधीश किसी व्यक्ति को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाता है, तो पैरोल पर रिहा होने के लिए उस अपराधी को जेल में कम से कम कुछ समय के लिए रहना ज़रूरी है। इसका मतलब यह नहीं है कि उन्हें रिहा कर दिया जाएगा। आजीवन कारावास की सज़ा पाने वाले व्यक्ति को अपने जीवन के बाकी बचे समय में लगातार निगरानी में रखा जाता है और अगर वे अपनी रिहाई की शर्तों की अवहेलना करते हैं तो उन्हें वापस जेल भेज दिया जाएगा।

पैरोल के बिना आजीवन कारावास: न्यूजीलैंड कानून के तहत सबसे गंभीर सज़ा। इसका मतलब है कि अपराधी को पैरोल कभी नहीं मिल सकती है और उसे अपना बाकी का जीवन जेल में बिताना होगा।

पैरोल: सज़ा पूरी होने से पहले कैदियों को कड़ी निगरानी और प्रबंधित तरीके से रिहाई की एक प्रणाली। रिहाई से जुड़ी कड़ी शर्तों के तहत अपराधी को समुदाय में दोबारा शामिल किया जाता है, ताकि वह अपने बची हुई सज़ा पूरी कर सकें। अगर वे शर्तों का उल्लंघन करते हैं, तो उन्हें वापस जेल भेजा जा सकता है।

न्यूज़ीलैंड पैरोल बोर्ड: पैरोल पर जेल से सज़ायाफ़्ता अपराधियों की रिहाई के बारे में सार्वजनिक सुरक्षा निर्णय लेता है।

गंभीरता कम करने वाले घटक ('डिस्काउंट' के रूप में जाने जाते हैं): अपराध और / या अपराधी के बारे में जानकारी जिसके आधार पर सज़ा कम हो सकती है (जैसे, युवा या मानसिक रूप से असंतुलित)

गंभीरता बढ़ाने वाले घटक ('अपलिफ़्ट्स' के रूप में जाना जाता है): अपराध और / या अपराधी के बारे में जानकारी जिसके आधार पर सज़ा कठोर या बढ़ाई जा सकती है (जैसे, शिकार, घृणा अपराध या पीड़ितों को गंभीर नुकसान)।

निवारक कैद: ऐसी सज़ा जब एक अपराधी को तब तक कैद में रखा जाता है, जब तक कि वह पैरोल बोर्ड को इस बात का यकीन न दिला दे कि वह अब समुदाय के लिए खतरा या जोखिम नहीं है।

सज़ा सुनाए जाने के बाद

अपील: अगर अपराधी को लगे कि उसे सुनाई गई सज़ा सही नहीं है तो, वह दूसरी अदालत में अपील कर सकते हैं। फ़ैसला सही न लगने पर, प्रॉसिक्यूशन भी अपील कर सकती है। उच्च न्यायालय के फ़ैसले के खिलाफ़ अपील, अपील न्यायालय में की जा सकती है। कभी-कभी सुप्रीम कोर्ट में दूसरी अपील भी की जा सकती है।

कन्विक्शन (दोषसिद्धि) के खिलाफ़ अपील: एक प्रतिवादी जो दोषी मान लेता / लेती है या दोषी पाया जाता / जाती है और एक आपराधिक अदालत में अपराध का दोषी पाया जाता है, उस फ़ैसले के खिलाफ़ उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है।

सज़ा के खिलाफ़ अपील: निचले कोर्ट द्वारा सुनाई गई सज़ा के खिलाफ़ उच्च अदालत में अपील की जा सकती है। यह अपील, आमतौर पर यह कहकर की जाती है कि सुनाई गई सज़ा बहुत कठोर या मिलते-जुलते पूर्व मुकदमों से मेल नहीं खाती।

हिंसक अपराधियों (गैर-संपर्क आदेश) के खिलाफ़ पीड़ितों के आदेश: गैर-संपर्क आदेश, ऐसे आदेश होते हैं जो 2 साल से ज़्यादा समय के लिए जेल भेजे गए अपराधी को पीड़ित से संपर्क करने पर रोक लगाते हैं। हर मामले के आधार पर जज द्वारा खास और अलग शर्तें लगाई जा सकती हैं।

अदालत में मौजूद लोग

सहयोगी कर्मचारी:

कोर्ट सलाहकार: अदालत की पूरे कार्यवाही के दौरान आपकी मदद करते हैं। वे न्याय मंत्रालय के लिए काम करते हैं और अदालत से जुड़े आपके सवालों का जवाब दे सकते हैं।

पुलिस परिवार संपर्क अधिकारी: अपराध से पीड़ितों के परिवारों को सहायता और सूचना प्रदान करना और मामले के जुड़े परिवार और पुलिस के बीच एक कड़ी के रूप में काम करते हैं।

पीड़ित सहयोग कार्यकर्ता: जानकारी प्रदान करता / करती है, गंभीर अपराध और आघात के शिकार लोगों को सहायता और वकालत सेवाएँ प्रदान करते हैं। वे स्वतंत्र एजेंसी विक्टिम सपोर्ट के लिए काम करते हैं।

अदालत में दिखने वाले लोग:

सुधार अधिकारी: कैदी की सुरक्षा के लिए, सुधार विभाग के कर्मचारी।

कोर्ट रजिस्ट्री अधिकारी: अदालतों के रोजमर्रा के कामों में मदद करते हैं। वे अदालत के दस्तावेजों को संभालने, शेड्यूल बनाने, और अदालत की सुनवाई में न्यायाधीश का सहयोग करते हैं।

कोर्ट सुरक्षा अधिकारी: न्यायालय में सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होते हैं, जिसमें यह सुनिश्चित करना भी शामिल है कि न्यायालय में आने वाले न्यायाधीश और न्यायिक कर्मचारी, अदालत में काम करने वाले लोग और आम जनता सुरक्षित रहे

काउंसल: वकील के लिए एक औपचारिक शब्द।

डिफेंस: प्रतिवादी या अपराधी के लिए वकील।

जज: कोर्ट का प्रभारी और मामलों के बारे में निर्णय लेते हैं।

प्रॉसिक्यूशन: वकील जो अपराधी के खिलाफ मुकदमा लड़ते हैं। क्राउन प्रॉसिक्यूटर, वे वकील होते हैं जो क्राउन (राज्य) की ओर से अपराधों के खिलाफ मुकदमालड़ते हैं

स्टैंडबाय काउंसल: कोर्ट द्वारा चुना गया वकील जो उन लोगों की मदद के लिए मौजूद रहते हैं जिन्होंने अपने लिए वकील न करने का फैसला लिया होता है। यह इसलिए किया जाता है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि मुकदमा या सज़ा निष्पक्ष हो और सुचारु रूप से चले।

सहायता के लिए वकील: न्याय मंत्रालय की मदद करने वाले वकील, पीड़ितों के अधिकार अधिनियम 2002 के तहत मस्जिद हमलों के पीड़ितों का समर्थन करते हैं। उनकी मदद के लिए एक जूनियर वकील, मुस्लिम समुदाय से नाता रखने वाला मंत्रालय का एक कर्मचारी, नियुक्त किया जाता है। वकील की सहायता करने के लिए कोर्ट सलाहकार पीड़ितों को अदालती प्रक्रिया के बारे में जानकारी देने में मदद करता / करती है।

अपराधी: अपराध का दोषी व्यक्ति। दोषी पाए जाने से पहले उन्हें 'प्रतिवादी' कहा जाता है।